

E-mail: [csf.hisar@indiaseeds.com](mailto:csf.hisar@indiaseeds.com)



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)  
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated-28.02.2020

No-CSF /6-70 /कृषि /2020

फोन न 94684-40214

**ई निविदा सूचना**

केन्द्रीय राज्य फार्म , हिसार में विभिन्न किस्म के खड़े पेड़ों को विक्रय करने के लिए ई निविदाएँ दिनांक 06-03-2020 दोपहर 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं जो कि उसी दिन साँय 3.00 बजे खोली जाएंगी इच्छुक निविदादाता जो पेड़ों को खरीदना चाहते हैं तो पेड़ों की की दरे आनलाइन, दो बिड प्रणाली ( तकनीकी एवं फ़ाईनेंसियल) के माध्यम से भेजें । निविदा हेतु निर्धारित धरोहर राशि रु 20000.00 ऑनलाइन भारतीय स्टेट बैंक ,हिसार IFSC Code SBIN0005700 के खाता न 33957537351 में जमा करवाएँ। निविदा संबन्धित समस्त जानकारी निगम की वेब साइट [www° indiaseeds° com](http://www.indiaseeds.com) पर पर देखी जा सकती है तथा ई -पोर्टल [http/indiaseeds°eproc° in](http://indiaseeds°eproc° in) निविदादाता का पंजीकृत होना अनिवार्य है ।

सहायक प्रबन्धक (उत्पादन )

E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)  
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Minirama Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी0 सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated- 28.02.2020

No-CSF /6-70/Agri/2020/

**Financial bid for sale of different type of standing trees at different chaks.**

Sr. No.	Lot No.	Type of Tree	Nos of Tree	Rate offered in Rs.
1	1	Popular	191	
	2	Popular	49	
	3	Popular	59	
	4	Popular	22	
2	5	Sheasham	65	
	6	Sheasham	161	
	7	Sheasham	55	
	8	Sheasham	87	
	9	Sheasham	69	
	10	Sheasham	77	
	11	Sheasham	54	
	12	Sheasham	85	
	13	Sheasham	133	
	14	Sheasham	51	
	15	Sheasham	30	
	16	Sheasham	36	
	17	Sheasham	42	
3	18	Kikar	26	
	19	Kikar	61	
	20	Kikar	14	
4	21	Juliflora	207	
	22	Juliflora	115	



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)  
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी० सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated-28.02.2020

No-CSF /6-70/Agri/2020/

निविदा की नियम व शर्तें

राष्ट्रीय बीज निगम के केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार के अधिकार में खड़े पापलर, शीशम व कीकर के वृक्षों के विक्रय हेतु निविदा सूचना उपर दी गई तिथि के अनुसार निश्चित लाट संख्या में खड़े पापलर व शीशम व कीकर इत्यादि के वृक्षों को विक्रय किया जाना निश्चित किया गया है। विक्रय किए जाने वाले वृक्षों की बिक्री निविदा द्वारा “जैसा है जहाँ है” के आधार पर की जाएगी। इसके प्रयोजनार्थ वृक्षों की बिक्री के नियम एवं शर्तें निविदा/बोलीदाता भलीभांति जान-समझ ले तथा उसे स्वीकार कर हस्ताक्षर करें।

1. निविदा या नीलामी में भाग लेने से पूर्व निविदा/बोलीदाता द्वारा वृक्षों की गुणवत्ता संख्या तथा स्थान आदि को भौतिक रूप से भली भांति जांच परख लेवे। वृक्षों की बिक्री के पश्चात इस संबंध में क्रेता को किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद का अधिकार नहीं होगा।
2. टेंडर/नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्रेता की पहचान तथा अन्य जानकारी के प्रयोजनार्थ कम से कम दो पहचान पत्र, जैसे चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, खेत का खसरा-खतोनी तथा पैन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। यदि बोली दाता/ठेकेदार कोई सांझीदारी फर्म है तो उक्त दस्तावेज (सांझेदारों से संबंधित हो) पेश करे। यदि बोलीदाता/ठेकेदार कोई पंजीकृत कम्पनी है तो उसे टेंडर/नीलामी में भाग लेने हेतु कम्पनी द्वारा जारी अधिकार पत्र, कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, वित्तीय स्थिति व निदेशक मण्डल के सदस्यगण की सूची तथा उक्त वर्णित में से कोई दो पहचान पत्रों को प्रस्तुत करना होगा। निविदा/बोलीदाता द्वारा अपने पहचान-पत्र, पैनकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति स्वयं सत्यापित कर निविदा के साथ संलग्न/नीलामी के समय जमा करनी होगी। किसी भी प्रकार के अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पते के कारण अथवा डाक विभाग द्वारा हुई देरी/त्रुटि से यदि कोई पत्र/सूचना निविदा/बोलीदाता के पास उचित समय में नहीं पहुँचती है तो फार्म किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि बिना पूर्व सूचना या नोटिस दिये निविदा अथवा बोली को अस्वीकृत अथवा निरस्त कर दें। इस विषय में फार्म प्राधिकारी किसी प्रकार से कारण सूचित करने को बाध्य नहीं होगा।
4. कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसे राष्ट्रीय बीज निगम के किसी भी कार्यालय/फार्म द्वारा ब्लैक लिस्ट किया गया हो, जिस पर निगम की बकाया धनराशि देनदारी हो, जिसे न्यायालय द्वारा अपराधी या शासन द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, अवयस्क हो या किसी भी प्रकार से निविदा/नीलामी के कार्य के अयोग्य हो, ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था निविदा अथवा नीलामी में किसी भी प्रकार की जानकारी छुपा कर भाग लेता है तो फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि किसी भी स्तर पर ठेका निरस्त कर दे ऐसी स्थिति में जमा धरोहर राशि व प्रतिभूति राशि स्वतः जब्त हो जाएगी तथा शर्त संख्या 38 के अनुसार भी जमा धनराशि समायोजित की जाएगी।
5. प्रत्येक बोलीदाता को बोली/टेंडर में भाग लेने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) निश्चित प्रपत्र में व ठेके की शर्तों की स्वीकृति में उस पर पूरे हस्ताक्षर कर, डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर द्वारा जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, हिसार के नाम देय हो/एकाउंट न० 33957537351 (SBI) स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा New

Grain Market, Hisar आईएफसी कोड IFSC Code No. SBIN0005700 में जमा करनी होगी । वृक्षों की बोली लाट के हिसाब से अलग-अलग की जायेगी प्रत्येक लाट की बोली हेतु निम्नलिखित धरोहर राशि अलग-अलग जमा करनी होगी ।

- ए. प्रथम/ पहले लाट हेतु धरोहर राशि : रु0 20,000/-  
बी. प्रथम लाट के साथ अन्य प्रति लाट हेतु धरोहर राशि: रु0 10,000/-
6. धरोहर राशि के लिए बैंक या लिफाफे में रखी गई नकद राशि मान्य नहीं होगी । साथ ही यदि धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक ट्रांसफर निश्चित राशि से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त किया जा सकता है । असफल निविदा/बोलीदाता को धरोहर राशि फार्म के खाते में जमा होने के बाद दो कार्य दिवस में बैंक द्वारा अथवा बैंक ट्रांसफर के माध्यम से अदा कर दी जायेगी ।
  7. निविदा दाता को निविदा जमा करने के पश्चात उसे वापिस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा ।
  8. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी । निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार का निविदा, फैंक्स व पत्र/ईमेल/अनुशंषा/अवांछित दबाव मान्य नहीं होगा ।
  9. सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि के 10% की दर से प्रतिभूति राशि भी 03 दिवस में जमा करनी होगी ।
  10. सफल निविदादाता/बोलीदाता को बोली समाप्त होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत धनराशि उसी समय अथवा अधिकतम 03 दिवस के अंदर जमा करना होगा तथा शेष 75 प्रतिशत राशि विक्रय स्वीकृति पत्र जारी होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी । बकाया राशि/राशियों को जमा करने में विलम्ब होने पर अधिकतम 15 अतिरिक्त दिवस के अंदर 18% वार्षिक की दर से ब्याज सहित पूर्ण राशि फार्म प्राधिकारी की स्वीकृति लेकर जमा करनी होगी ।
  11. प्रतिभूति तथा प्रारम्भिक 25: राशि जमा करने हेतु समान्यतः कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा । यदि शेष 75% संपूर्ण देय राशि अतिरिक्त 15 दिवस बढ़ाई गई समय सीमा के अन्दर ही जमा नहीं की जाती है तो उस दशा में क्रेता द्वारा जमा की गई राशि में से धरोहर एवं प्रतिभूति राशि फार्म द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा शेष धन राशि बिना ब्याज क्रेता को अदा की जाएगी । इस स्थिति में ठेका स्वतः रद्द हो जाएगा जिसके लिए क्रेता को किसी प्रकार की सूचना या नोटिस देय नहीं होगा । इस स्थिति में संबंधित वृक्षों के संबंधित लाटों को दोबारा विक्रय करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा
  12. क्रेता द्वारा ठेके की सम्पूर्ण राशि फार्म को अदा करने पर ही फार्म प्राधिकारी द्वारा वृक्षों की कटाई का स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा ।
  13. वृक्षों के पातन-कटाई हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिन से 90 दिवस समय सीमा के भीतर सभी वृक्षों की कटाई कर फार्म से ले जाना होगा । ज्यों ही वृक्षों की कटाई का अधिकृत समय समाप्त हो जाता है, खरीददार का वृक्षों पर कोई अधिकार नहीं रहेगा । वृक्षों की कटाई में अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी । तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर 90 दिवस के उपरान्त निम्नलिखित दर से भूमि कर (Ground Rent) चुका कर शेष पेड़ काटने हेतु अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है:
    - i) प्रथम अतिरिक्त 30 दिवस रु0 5/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से
    - ii) द्वितीय अतिरिक्त 60 दिवस रु010/- प्रति वृक्ष प्रति दिवस की दर से
  14. यदि क्रेता प्राधिकृत समय सीमा तथा अतिरिक्त प्रावधानिक समय सीमा के बाद भी विक्रय किये गये सभी वृक्षों के लाट को किसी भी कारण से नहीं ले जाता है तो उस दशा में शर्त संख्या 38 के अनुसार क्रेता द्वारा जमा धन राशि को फार्म द्वारा जब्त कर लिए जाने का पूर्ण अधिकार होगा ।
  15. क्रेता को विक्रय किए गए वृक्ष लॉट को एक ओर से काटना होगा तथा चुन कर/छांट कर काटने का अधिकार क्रेता को नहीं होगा ।
  16. क्रेता पूर्ण जानकारी के बाद ही मात्र खरीदे गये लॉट के पेड़ों की कटाई करेगा । यदि जानबूझ कर या अनजाने में कोई अन्य पेड़ काट लिया जाता है या कोई अन्य लकड़ी ले जाने का प्रयास किया जाता है तो ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी नियत पेड़ की पूरी कीमत के साथ जुर्माना भी क्रेता से वसूल करने का अधिकारी होगा जो कि पेड़/लकड़ी की कीमत से दो गुना होगा । यदि क्रेता या उसके कार्यकर्ता बार-बार

ऐसा करते हैं तो फार्म को पूर्ण अधिकार होगा कि पूर्ण कीमत और जुमाना वसूल कर ठेका निरस्त कर दें तथा शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार भी कार्यवाही की जा सकती है ।

17. यदि फार्म द्वारा निकट के खेतों में खड़ी फसलों को वृक्षों के पातन-कटाई से होने वाली हानि, जलभराव की स्थिति अथवा किसी अन्य कारण से फार्म के हित को ध्यान में रखते हुए यदि वृक्षों के पातन-कटाई का कार्य रोका जाता है तो क्रेता को कार्य रोके जाने वाली समय अवधि के बराबर अधिकृत समय बिना भूमि कर वसूल किये दिया जायेगा ।
18. यदि किसी प्रशासनिक बाध्यता/शासकीय आदेश/न्यायालय आदेश के अनुसार ठेका स्थगित या निरस्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में विक्रय में से शेष बचे वृक्षों के एवज में फार्म द्वारा आकलित कीमत क्रेता को बिना ब्याज वापस की जा सकती है ।
19. ठेका समाप्त होने पर संबंधित अधिकारी की संस्तुति पर कि क्रेता अथवा उसके कार्यकर्ता के कार्य कलापों से फार्म को किसी प्रकार की परोक्ष-अपरोक्ष हानि नहीं हुई है तथा कार्य शर्तों के अनुरूप पूरा किया गया है, सफल निविदा/बोली दाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि बिना ब्याज वापस कर दी जायेगी। ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल/अचल सम्पत्ति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा फार्म प्राधिकारी को उसका ठेका रद्द करने का भी अधिकार होगा ।
20. सफल निविदा/बोली दाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा । इसकी अवहेलना करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा तथा जमा की गई धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि को जब्त करने के साथ **शर्त संख्या 30 एवं 38 के अनुसार** कार्यवाही का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा ।
21. विक्रय किये गये वृक्षों को काट कर लेजाने हेतु ठेकेदार द्वारा जो आदमी लगाये जायेंगे उनकी सूची पते सहित फार्म प्राधिकारी को देनी होगी । फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि बिना कारण सूचित किये किसी भी अवांछित व्यक्ति का फार्म में प्रवेश वर्जित कर दें तथा उक्त व्यक्ति के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करे ।
22. खड़े वृक्षों की बिक्री पूरे लॉट/वृक्ष संख्या के अनुसार होगी ।
23. पेड़ों की लकड़ी ले जाने के लिये ट्रांसिट परमिट की व्यवस्था तथा लकड़ी ढुलाई के लिये परिवहन आदि का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं अपने खर्च पर करना होगा ।
24. ठेकेदार को राज्य एवं केंद्र सरकार के वन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदा दाता की शासन संबंधित वन अधिनियम तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के अंतर्गत बनायी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ेगा । यदि संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित अधिनियम/नियम के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई अनुमति/औपचारिकता आवश्यक होती है तो ठेकेदार उक्त सौदे के सम्बन्ध में अपने खर्च पर उक्त अनुमति प्राप्त करेगा । उल्लंघन की दशा में ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा ।  
ठेकेदार/क्रेता निगम के पक्ष में एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड इंडमनिटी बाण्ड इस आशय के साथ देगा कि उसके द्वारा केंद्र अथवा राज्य सरकार के द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना, नियम अथवा वन सम्बन्धी कानून की पूर्ण रूप से पालना की जाएगी तथा किसी भी प्रकार से उल्लंघन हेतु वह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा तथा उसके द्वारा नियम एवं कानून की किसी प्रकार के अनदेखी या उल्लंघन की दशा में निगम किसी भी प्रकार से जवाबदेह नहीं होगा एवं यदि किसी भी प्रकरण में ठेकेदार के कृत्य हेतु राष्ट्रीय बीज निगम को किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा जवाबदेह बनाया जाता है तो उस दशा में सभी प्रकार की क्षतिपूर्ति के साथ न्यायालय एवं अन्य सम्बंधित खर्च ठेकेदार को वहन करने होंगे।
25. यदि कोई व्यक्ति खरीददार की जानकारी के बिना नीलाम वृक्ष काटते हुए पाया गया तो खरीददार उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकता है । यदि व्यक्ति फार्म का कर्मचारी अथवा अधिकारी हो तो इसकी सूचना फार्म के निदेशक को विभागीय कार्यवाही हेतु देगा।
26. वृक्षों की निविदा-नीलामी/बिक्री “जैसा है जहाँ है” आधार पर की जाएगी। बिक्री किए गये पेड़ों को किसी भी कारण से हुए नुकसान के लिए बोली के बाद फार्म जिम्मेदार नहीं होगा । नीलामी स्वीकृति के बाद यदि किसी कारणवश जैसे पेड़ों का उखाड़ना, सूखना, आग लगना, आंधी-तूफान, बिजली, बीमारी, दीमक-कीड़ों, चोरी आदि (प्राकृतिक/अप्राकृतिक) से कोई हानि ठेकेदार को होती है तो फार्म उसका जिम्मेदार नहीं होगा । बोलीदाता ही स्वयं उक्त हानि को वहन करेगा ।

27. ठेकेदार या उसके कार्यकर्ता को फार्म में अवांछित असम्बंधित गतिविधियां, फार्म कार्यकलापों में रुकावट/व्यवधान/हस्तक्षेप, आग जलाना, मवेशी पालन, कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बंधित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने अथवा फार्म की संपत्ति को कोई हानि होती है अथवा फार्म के कर्मचारियों/अधिकारियों से विवाद होता है तो इस के लिए परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा। इस दशा में की गई हानि का आर्थिक अथवा वैधानिक/न्यायिक हर्जाना/कार्यवाही ठेकेदार पर बाध्यकारी होगी। किसी भी प्रकार की हानि की कीमत फार्म निदेशक द्वारा तय की जायेगी जिसका भुगतान ठेकेदार/खरीददार द्वारा फार्म को करना होगा। उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषिद्ध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी जमा राशियां जब्त कर ली जायेगी।
28. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार-बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके को शर्त सं० 38 के अनुसार निरस्त/रद्द कर ठेकेदार को निश्चित अवधी के लिए ब्लैक लिस्ट कर निगम के फार्मों/क्षेत्रीय कार्यालयों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दे। विवाद, झगड़ा मतभेद के मामले में फार्म प्राधिकारी/सक्षम अधिकारी का निर्णय क्रेता/ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।
29. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने, घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है। ऐसा करने पर वे स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होंगे।
30. ठेकेदार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भी कृषि कार्य/कार्यों पर आपत्ति करे साथ ही उसे यह भी अधिकार नहीं होगा कि वह इन कार्यों को निर्धारित समय से पूर्व अथवा बाद में करने के लिए फार्म पर अवांछित दबाव डालने या बाध्य करने की कोशिश करें।
31. इस अनुबन्ध के अंतर्गत वृक्षों से संबंधित सभी प्रकार के शासकीय एवं संवैधानिक परोक्ष अपरोक्ष कर, चुँगी, नगरपालिका, मंडी, वन विभाग, पारगमन परमिट (TP) तथा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स, सेस, शुल्क, प्रभार आदि का भुगतान क्रेता/ठेकेदार को निविदा-नीलामी राशि के अतिरिक्त स्वयं वहन करना होगा।
32. नीलामी के उपरान्त ठेकेदार/खरीददार वृक्षों की सुरक्षा कटाई, पैकिंग, ढुलाई आदि समस्त कार्य अपने जोखिम व खर्च पर करेगा।
33. पारगमन परमिट क्रेता द्वारा स्वयं ही अपने खर्च पर प्राप्त करना होगा।
34. वृक्षों को जड़ सहित काटना होगा। जड़ एवं लकड़ी ले जानी होगी। जड़ उखाड़ने से हुए गड्ढे को भरना होगा। (आवश्यकता/प्रावधान अनुसार) ठेकेदार/क्रेता द्वारा अवहेलना की दशा में वृक्ष की औसत कीमत की 20 प्रतिशत के बराबर की धन राशि धरोहर एवं प्रतिभूति राशि में से जब्त कर ली जाएगी।
35. पेड़ों के पातान-कटाई से सड़क अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए एवं वाहनों - मशीनों का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। पेड़ों के पातान, कटाई अथवा सड़क रास्ते लकड़ी ले जाने पर फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए।
36. इस निविदा - नीलामी सौदे के अंतर्गत नियत किसी भी नियम एवं शर्त की खरीददार, उसके प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अवहेलना करने पर फार्म प्राधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि वह ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द/समाप्त कर दे तथा काटे गए वृक्षों की फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित की गई धन राशि, प्राविधानिक भूमिकर तथा ठेके के अंतर्गत क्रेता द्वारा फार्म में जमा की गई धरोहर एवं प्रतिभूति राशि जब्त कर ले।
37. वृक्षों/लकड़ी को फार्म से बाहर ले जाने के लिए दिवस समय सीमा का निर्धारण फार्म प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होगा। साधारणतः यह अनुमति कार्य दिवस में प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक होगी। कटे वृक्ष फार्म से बाहर ले जाने के लिए गेट पास आवश्यक होगा।
38. ठेकेदार फार्म अधिकारियों को कोई प्रलोभन, तोहफे आदि देने की कोशिश नहीं करेगा साथ ही किसी प्रकार की धमकी, डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इस मामले में उसका ठेका रद्द किया जा सकता है साथ ही उसकी धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि जब्त करने का फार्म को पूर्ण अधिकार होगा साथ ही उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

39. इस सौदे के लिए रु0 100/- (एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर ठेकेदार द्वारा ठेके के अंतर्गत विक्रय किए गए पेड़ों का विवरण तथा सौदे के नियम व शर्तों पर करार (Agreement) तथा रु. 100/-(एक सौ) के स्टाम्प पेपर पर शर्त संख्या 26 के अनुसार क्षतिपूर्ति बॉन्ड (Indemnity Bond) पर दो गवाहों की उपस्थिति में फार्म के साथ अनुबंध करना आवश्यक होगा। स्टाम्प पेपर का प्रबंध ठेकेदार को स्वयं करना होगा। उपरोक्त दोनों अनुबंध ठेका स्वीकृत होने के 07 कार्यदिवस के अन्दर करने होंगे।
40. यदि उपरोक्त अनुबंध/करार के किसी उपबंध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। विवाद न सुलझने की स्थिति में, इस करार से संबंधित पक्षकार के आवेदन पर, सम्बंधित विवाद को समय-समय पर संशोधित माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration & Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा नियुक्त एकल मध्यस्थ (Indemnity Bond) के द्वारा निपटान किया जाएगा जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। पक्षकार विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा न्यायालय जाने से पूर्व आर्बिट्रेशन के माध्यम से करेंगे।
- घोषणा:-** मैंने फार्म में खड़े पेड़ों/वृक्षों को खरीदने हेतु निविदा-सह-नीलामी की शर्तें पढ़ ली हैं। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य हैं तथा हस्ताक्षर मैंने अपनी रजामंदी से, बिना किसी दबाव के पूर्ण होशो-हवाश में किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा ये नियम तथा शर्तें राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म हिसार के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबंध का अभिन्न अंग/भाग मानी जायेगी।

### **आरबीट्रेशन**

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये। विवाचन (Arbitration) का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा।

**प्रबंधक (उत्पादन)**

स्थान: हिसार

दिनांक .....

मैंने उपरोक्त फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली हैं तथा मैं ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूँ।

निविदा/बोली दाता के हस्ताक्षर



E-mail: csf.hisar@indiaseeds.com

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड  
(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरत्न कम्पनी)  
NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking - Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963G-OI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म / Central State Farm

10 किमी<sup>0</sup> सिरसा रोड, हिसार / 10 KM. Sirsa Road Hisar-125001

मुख्यालय: बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-12/BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX, NEW DELHI-12

GST No – 06AABCN8973F2Z7

Dated-28.02.2020

No-CSF /6-70/Agri/2020/

**Lot wise and Girth-wise detail of Poplar, Shisham, and Kikar**

Kind of Trees	Lot No.	Chak No.	Girth in CM	No.of Trees		
Popular	01	Block No.1	90-99	14		
			100-109	18		
			110-119	32		
			120-129	31		
			130-above	96		
			<b>Total</b>	<b>191</b>		
			02	Block-2 17000,13000,21000,750000	80-89	0
					90-99	25
					100-109	10
					110-119	7
120-129	6					
130-above	1					
<b>Total</b>	<b>49</b>					
03	Block-II 78/80000RD	80-89			0	
		90-99			31	
		100-109			14	
		110-119	10			
		120-129	4			
		130-above	0			
		<b>Total</b>	<b>59</b>			
		04	EPO	80-89	0	
				90-99	6	
				100-109	8	
110-119	4					
120-129	3					
130-above	1					
<b>Total</b>	<b>22</b>					
SHISHAM	05			Block-I 2000RD	120-149	35
					150-179	14
					180-209	11
		210 & Above	5			
		<b>Total</b>	<b>65</b>			
		06	Block-I 68025RD		120-149	100
					150-179	23
					180-209	28
					210 & Above	10
					<b>Total</b>	<b>161</b>
07	Block-I 9000RD			120-149	41	
				150-179	13	
				180-209	01	
				210-above	0	
				<b>Total</b>	<b>55</b>	
		08	Block-I 72000RD	120-149	58	
				150-179	18	



			180-209	08
			210-above	03
			<b>Total</b>	<b>87</b>
	<b>09</b>	<b>Block-II 17000RD</b>	120-149	50
			150-179	13
			180-209	04
			210 & above	02
			<b>Total</b>	<b>69</b>
	<b>10</b>	<b>Block-II 13000RD</b>	120-149	54
			150-179	18
			180-209	05
			210-above	0
			<b>Total</b>	<b>77</b>
	<b>11</b>	<b>Block-II 21000RD</b>	120-149	28
			150-179	17
			180-209	09
			210-above	00
			<b>Total</b>	<b>54</b>
	<b>12</b>	<b>Block-II 75000RD</b>	120-149	41
			150-179	18
			180-209	11
			210-above	15
			<b>Total</b>	<b>85</b>
	<b>13</b>	<b>Block-II 78/800000RD</b>	120-149	87
			150-179	28
			180-209	10
			210-above	08
			<b>Total</b>	<b>133</b>
	<b>14</b>	<b>Block-III `23000RD</b>	120-149	32
			150-179	14
			180-209	02
			210-above	03
			<b>Total</b>	<b>51</b>
	<b>15</b>	<b>Block--3 38000RD/T/Plot/Dhandoor</b>	120-149	18
			150-179	06
			180-209	00
			210-above	06
			<b>Total</b>	<b>30</b>
	<b>16</b>	<b>Block-III 86000RDR</b>	120-149	23
			150-179	11
			210-above	02
			<b>Total</b>	<b>36</b>
	<b>17</b>	<b>Block-III 86000RDL</b>	120-149	26
			150-179	10
			180-209	05
			210-above	01
			<b>Total</b>	<b>42</b>
		<b>Grand Total Shisham</b>	<b>G.Total</b>	<b>947</b>
<b>Kikar</b>		<b>Block II</b>	120-149	15
	<b>18</b>		150-179	09
			180-209	01
			210 & Above	01
			<b>Total</b>	<b>26</b>
	<b>19</b>	<b>Block-III</b>	120-149	36
			150-179	18
			180-209	03
			210 & Above	04
			<b>Total</b>	<b>61</b>
	<b>20</b>	<b>EPO</b>	120-149	05
			150-179	07
			180-209	02
			<b>Total</b>	<b>14</b>
		<b>Grand Total Kikar</b>	<b>G. Total</b>	<b>101</b>
<b>Juliflora</b>	<b>21</b>	<b>Block-III 23000RD</b>	40-59	11

			60-89	72
			90-119	82
			120-149	24
			150-179	12
			180-209	04
			210 & Above	02
			<b>Total</b>	<b>207</b>
	22	<b>Block-III 38000RD/T.P.</b>	40-59	29
			60-89	58
			90-119	22
			120-149	05
			150-179	01
			<b>Total</b>	<b>115</b>
		<b>Grand Total Juliflora</b>	<b>G.Total</b>	<b>322</b>